(iv) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस)

2 अक्तूबर, 1993 को पूरे देश के 1752 पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि मौसम में 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि कर्मकार लाभान्वित होते है। अब इस योजना को 2443 ब्लाकों में लागू कर दिया गया है।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों वाली महिलाओं के कौशलों और अभिरुचि के अनुरूप आय सृजन संबंधी कार्यकलापों को शुरू किये जाने के लिये सामूहिक दृष्टिकोण का उपयोग करके उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये 1982-83 में चलाई गयी थी। यह योजना स्व रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहयोग से संचालित की जाती है।

(vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एन एस ए एस)

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना नामक एक नई योजना चलाई है। इस योजना के तीन घटक है, अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के मुख्य उपार्जक की मृत्यु की दशा में उत्तरजीवी लाभ और निर्धन महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के लिये प्रसूति लाभ, जिससे कृषि कर्मकारों को भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा।

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये व्यक्तियों और सृजित किये गये रोजगार की दृष्टि से उपर्युक्त योजनाओं का वास्तविक निष्पादन, राज्य वार अनुलग्न में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट 181, अनुबंध संख्या 70]।

3. केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारें ने अनेक बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनायें चलाई हैं जैसे जी.जी.नि. की सामाजिक सुरक्षा निधि के अधीन 1987 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये समूह बीमा योजना, जो कि 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बीमा परिधि के भीतर लाने के लिये है और 1980 में ए.आ.वि.का. के लाभान्वितों के लिये बीमा योजना। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अलग-अलग अर्हता मानकों और पेंशन दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनायें चला रही है। सरकार ने मूलभूत सुविधाओं में सुधार करके, गैर-कृषीय कार्यकलापों का विविधीकरण करके, विभिन्न कौशल सुधार के सतत कार्यों, गरीबी उन्मूलन, विकास और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में और सुधार करने के लिये एक बहुआयामी कार्यवाई भी शुरू की है।

4. उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, कृषि कर्मकारों के हितों की रक्षा विभिन्न कानूनों के माध्यम से भी की जाती है। ऐसे कुछ कानून हैं-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976।

Setting op of a Regional Vocation Training Institute at Baroda

SHRIMATI ANANDIBP JETHABHAI PATEL; Will the Mi"" icr of LABOUR he pleased to staK

(a) wether it is a fact that Govt has given approval for setiins up*!"Reiional Vocational Training l"*" lute at Baroda.

(b) if so. the details *t* its tef* aid condition*;

(c) whether the land and the infrastructure has been created by the State Govt, as per the terms and conditions;

i li if so, the reasons for rethinking ef the part of Govt, to shift the same outside the state;

(e> if not, the time by which the institute will start functioning at the present site?

THE MINISTER OF STATE OF THE MIN'STRY OF LABOUR (SHRT M. P. VEERENDRA KUMAR): (a) Yes. Sir.

Hi The terms and conditions aereed to by the State Government included providing about 5 acres of !and free of cost for construction of a building bv Government of Iidia MI it and also adequate temporary accommodation for immediate setting up the RVTI at Vadodara.

(c) and <d) In April, 1993 State mment of Gujrat did make 'ile a plot of land which had an existing old superstructure and also a new build'ng already under construction on it. While the land "as offered free, the State Gcern-"ient wanted the cost of building structures to be reimbursed to them. As the buildim structures so offered (lid not meet the specifications laid down by the World B-tnk who were financing the construction, this could not be agreed to and the State Government w»re adv^d to make avail-able a suitaMe alternative vacant plot of land for mnstnictinn or a reouirpd standards for 'b» BVTT t,v Gr,v»rnm"in of India. TK» Kaie Goverment is vet to make available the required alternative

The RVTI, Vadodara. continues to mncurm with limited iraining activi-ded by the temporary r-rerHses provi-. \V 'he state Government at

Does no t arise

गैर सरकारी संगठनों द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान न किया जाना

2568. **श्री नागमणि :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किये जाने की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या पांचव केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मच.रियों और गैर-सरकारी सगठनों की आय में असमानता बढ़ेगी ; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को निर्धारित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम0 पी0 वीरेन्द्र कुमार) :(क) सरकार को गर सरकारी संगठनों से अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न किये जाने के संबंध में अनौपचारिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का निर्धारण संबंधित सरकार द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के कर्मकारों को देय वेतन और मजदूरी को आपसी करार और संबंधित नियोक्ता और कमकारो द्वारा नियत किया जाता है । ऐसी मजदूरी की दरें अनेक कारकों पर निर्भर होती हैं । जैसे किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, सामूहिक सौदेकारिता की प्रभावोत्पादकता, श्रम बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति, आदि । इस क्षेत्र में सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होता कि समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की अदायगी की जाये ।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947